न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, भरतपुर

(पीठासीन अधिकारीः बीना महावर, आर0ए0एस0)

पत्रावली संख्या : 02/2021 प्रार्थना पत्र (खा.सु.अ.)

केशव कुमार गोयल, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, भरतपुर।

आवेदक

बनाम

1. अमन बागपतिया पुत्र प्रकाश चन्द उम्र 28 वर्ष (खाद्य कारोबारकर्ता, पार्टनर एवं विक्रेता) श्री भगवती उद्योग, 50–ओल्ड इण्डस्ट्रीयल एरिया, भरतपुर निवासी–डी–143, रणजीत नगर भरतपुर।
2. प्रकाश चन्द बागपतिया पुत्र राजेन्द्र कुमार (पार्टनर) श्री भगवती उद्योग, 50–ओल्ड इण्डस्ट्रीयल एरिया, भरतपुर निवासी–डी–143, रणजीत नगर भरतपुर।
3. श्री भगवती उद्योग 50–ओल्ड इण्डस्ट्रीयल एरिया, भरतपुर

गैरसायल

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 26(2)(ii)/52 एफएसएस एक्ट 2006 रूल्स 2011

उपस्थित :

1. प्रार्थी स्वयं
2. गैरसायल स्वयं

निर्णय

दिनांक : 25.10.2021

आवेदक द्वारा यह प्रार्थना पत्र अंतर्गत 26(2)(ii)/52 एफएसएस एक्ट 2006 रूल्स 2011 के अन्तर्गत विरूद्ध गैरसायल दिनांक 04.01.2021 को प्रस्तुत किया गया है। गैरसायल को जरिये नोटिस तलब किया गया। नियत दिनांक 25.10.2021 को गैरसायल उपस्थित। इस्तगासा की

न्याय निर्णयन अधिकारी
एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
भरतपुर (राज.)

नकल देते हुये गैरसायल को इस्तगासा में अंकित आरोप सुनाया गया कि दिनांक 20.06.2020 को सांय 05.00 बजे गैरसायल की फर्म श्री भगवती उद्योग, 50–ओल्ड इण्डस्ट्रीयल एरिया, भरतपुर पर सरसो तेल निर्माण एवं पैकिंग ईकाई का निरीक्षण किया गया। दौराने निरीक्षण/जांच गैरसायल की उक्त फर्म पर आमजन के लिये विक्रय हेतु गत्ते के दो कार्टन में प्रति कार्टन 30 नग के हिसाब से 200 मिलि. वजनी पैकिंग की कुल 60 मूल सील्ड पेट बोतल पैक सरसो तेल (लाल हिरन ब्राण्ड) रखे हुये पाये गये। जिनमें मिलावट का संदेह होने पर नियमानुसार मौके पर नमूना लिया गया। खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के अंतर्गत नियमानुसार कार्यवाही अमल में लायी गई। खाद्य विश्लेषक अलवर की जांच रिपोर्ट संख्या एलएस/300/एक्ट/2020/370 दिनांक 10.07.2020 द्वारा उक्त सरसो तेल (लाल हिरन ब्राण्ड) का नमूना मिथ्याछाप खाद्य पदार्थ (Misbranded Food) प्रकृति का पाया गया है। गैरसायल द्वारा मिथ्याछाप खाद्य पदार्थ (Misbranded Food) प्रकृति का सरसो तेल (लाल हिरन ब्राण्ड) विक्रय करके एफएसएसए 2006 की धारा 26(2)(ii)/52 का उल्लंघन किया गया है।

आरोपों को सुन व समझकर गैरसायल का कथन है कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा गैरसायल की फर्म श्री भगवती उद्योग, 50–ओल्ड इण्डस्ट्रीयल एरिया, भरतपुर से सरसो तेल (लाल हिरन ब्राण्ड) की जांच हेतु नमूना लिया गया है। जो खाद्य विश्लेषण अलवर की जॉच रिपोर्ट में मिथ्याछाप खाद्य पदार्थ (Misbranded Food) प्रकृति का पाया गया है। गैरसायल के द्वारा उक्त सरसो तेल (लाल हिरन ब्राण्ड) के निर्माण में जो अनियमितता रही है वह सहवन से हुई है। उक्त सरसो तेल (लाल हिरन ब्राण्ड) की जांच रिपोर्ट में हानिकारक नहीं माना जाकर मिथ्याछाप स्तर का पाया गया है। गैरसायल द्वारा यह त्रृटी सहवन से होने के कारण आरोप को स्वीकार करता है। गैरसायल की यह प्रथम गलती है जिसके लिये गैरसायल भविष्य में सावधानी पूर्वक देखभाल करके ही कोई प्रोडेक्ट का विक्रय करेगा। गैरसायल की यह प्रथम गलती है। इसलिये गैरसायल के प्रति नरमरूख अपनाते हुये कार्यवाही की जावे।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। गैरसायल के कथनों पर मनन किया गया। दिनांक 20.06.2020 को सांय 05.00 बजे दौराने निरीक्षण/जांच गैरसायल की फर्म पर आम जनता

न्याय निर्णयन अधिकारी
एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
भरतपुर (राज.)

के विक्रय हेतु दो कार्टन में प्रति कार्टन 30 नग के हिसाब से 200 मिलि. वजनी पैकिंग की कुल 60 मूल सील्ड पेट बोतल पैक सरसो तेल (लाल हिरन ब्राण्ड) रखे हुये पाये गये। खाद्य विश्लेषक अलवर की जांच रिपोर्ट संख्या एलएस/300/एक्ट/2020/370 दिनांक 10.07.2020 के द्वारा उक्त सरसो तेल (लाल हिरन ब्राण्ड) का नमूना मिथ्याछाप खाद्य पदार्थ (**Misbranded Food**) प्रकृति का पाया गया है। जांच रिपोर्ट के अनुसार **U/S 3(1)(zf)(c)(i) of FR&S Act 2006. It is contravention of the Regulation No. 2.2.1(4), 2.2.2(10) of FS&S (Packaging & Labelling) Regulation 2011** की कमियां पाई गई है। दौराने सुनवाई गैरसायल के द्वारा भविष्य में इस प्रकार की अनियमियता की पुनरावृति नही करने एवं सावधानी पूर्वक फूड प्रोडेक्ट का विक्रय करना स्वीकार किया है। गैरसायल की प्रथम गलती होने के कारण भविष्य में इस प्रकार की अनियमियता की पुनरावृति नही किये जाने की चेतावनी गैरसायल को दी जाती है। अतः उक्त अधिनियम की धारा 52 के तहत गैरसायल के द्वारा की गई अनियमितता के आधार पर 25000/–रूपये (पच्चीस हजार रूपये) के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। गैरसायल अर्थदण्ड की राशि नियमानुसार राजकोष में जमा करावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद पूर्ति दाखिल दफ्तर की जावे।

निर्णय आज दिनांक 25.10.2021 को सरे इजलास सुनाया गया।

(बीना महावर)
न्याय निर्णयन अधिकारी
एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर
भरतपुर (राज.)